उत्पाद-शुल्क

धारा 9क का संशोधन।

103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है), की धारा 9क की उपधारा (2) में,— 1944 का 1

(i) "ऐसी प्रशमन रकम का" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी प्रशमन रकम का और ऐसी रीति में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (खख), खंड (खखख), खंड (खखखख) या खंड (ग) के उपबंधों के अधीन अपराधों में से किसी का एक बार प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अपराध करने का अभियुक्त रहा है जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन भी अपराध है ; 1985 का 61

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के माल की बाबत इस अध्याय के किसी अपराध का एक बार प्रशमन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(घ) ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम के अधीन न्यायालय द्वारा 30 दिसम्बर, 2005 को या उसके पश्चात् दोषसिद्ध किया गया है ।"।

धारा 14कक का संशोधन।

104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 14क में,—

(i) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "लागत लेखापाल" शब्दों के स्थान पर, "लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउन्टेंट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चार्टर्ड अकाउन्टेंट" का वही अर्थ है जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ।'। 1949 का 38

धारा 14ककक का संशोधन।

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 14ककक में,—

(i) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, "लागत लेखापाल" शब्दों के स्थान पर, "लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउन्टेंट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चार्टर्ड अकाउन्टेंट" का वहीं अर्थ है जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ।'। 1949 का 38

106. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क में, खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 23क का संशोधन।

1962 का 52 '(ङ) "प्राधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च की उपधारा (1) के अधीन गठित या उपधारा (2क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ।'।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी धारा 35छ का संशोधन।
और 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उच्च न्यायालय उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यह समाधान हो जाने पर कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था, किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा।"।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी धारा 35ज का संशोधन।
और 1 जुलाई, 1999 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) उच्च न्यायालय उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था, किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा या प्रतिआक्षेपों के ज्ञापन को फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा ।"।

109. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (घ) में, "संदत्त की जाने वाली रकम" शब्दों के धारा 37 का संशोधन।
स्थान पर "संदत्त की जाने वाली रकम और प्रशमन की रीति" शब्द रखे जाएंगे ।

110. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 448(अ), तारीख 1 अगस्त, 1997, सा0क0नि0 503(अ), तारीख 30 अगस्त, 1997 और सा0का0नि0 130(अ), तारीख 10 मार्च, 1998 चौथी अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी तारीख से ही संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित की गई कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थीं । केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन जारी अधिसूचनाओं का संशोधन और की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

2001 का 14 (2) वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 121 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क के लोप और उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं की समाप्ति के होते हुए भी उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित धारा 3क के अधीन, नियम बनाने और अधिसूचनाएं जारी या संशोधित करने की भूतलक्षी रूप से शक्ति होगी और सभी तात्विक समयों पर हुई समझी जाएगी ।

(3) 1 अगस्त, 1997 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने से लोप की गई या उसके लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त अधिसूचनाओं के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई कोई कार्रवाई इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ;

(ख) उक्त अधिसूचनाओं के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई ऐसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ;

(ग) शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिन्हें प्रतिदत्त नहीं किया गया है, इस प्रकार वसूली की जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

111. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का संशोधन, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा । 1986 के अधिनियम 5 की पहली अनुसूची का संशोधन।